न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 15/2026

श्री नरेश कुमार गुर्जर, निवासी नंगली निर्वाण, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333012, मो0नं0 9149819269

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 02.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 15/2026 पर दिनांक 15.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/161—162 दिनांक 16.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पाठक/सू0अ0अ0/2025/14 दिनांक 30.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री नरेश कुमार गुर्जर, निवासी नंगली निर्वाण, तहसील गुढागौडजी द्वारा श्रीमान् के कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दायर की है। प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक पाठक/सू0अ0/2025/320—21 दिनांक 23.12.2025 एवं सू0अ0/25/326 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड पत्र व ऑन लाईन निर्धारित अवधि मे उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पाठक/सू0अ0अ0/2025/14 दिनांक 30.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री नरेश कुमार गुर्जर, निवासी नंगली निर्वाण, तहसील गुढागौडजी द्वारा श्रीमान् के कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दायर की है। प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक पाठक/सू0अ0/2025/320—21 दिनांक 23.12.2025 एवं सू0अ0/25/326 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड पत्र व ऑन लाईन निर्धारित अवधि मे उपलब्ध करवा दी गई थी। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं